HINDI CIRCULAR

फरवरी 2014 हड़ताल की आवश्यकता ।

सरकार ने सातवें सी पी सी के गठन की घोषणा कर दी है । कर्मचारी पक्ष ने अपने मांगों को अधिकारी पक्ष के आगे रखा । हमें यह भी पता नहीं है कि हमारे मांगों पर ध्यान दिया जाएगा या नहीं । 50% डी ए विलयन, आई आर आदि के संबंध में सरकार ने अब तक अपना निर्णय नहीं लिया है । 50% DA विलयन, IR के बिना सातवें सी पी सी की घोषणा केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए फायदेमंद नहीं है । रेल बोर्ड और अन्य केंद्र सरकार विभागों ने अपने कर्मचारियों केलिए केडर पुनर्संरचना पूरा कर लिया है जब कि डाक विभाग ने इसे अंतिम रूप भी नहीं दे पाया है । रेल बोर्ड नोडल मंत्रालय डी ओ पी टी आदेशों न पालन करते हुए आर आर भर्ती कर रहा है । डाक विभाग में ओ टी ए दरों का संशोधन नहीं किया गया है जबकी रेल विभाग में इसका संशोधन हो गया है । ओ टी ए दरों के संशोधन से संबंधित हमारे प्रस्ताव को 2011 में सचिवों के एक दल ने न मंजूर कर दिया और इसका कारण अभी तक यूनियनों को सूचित नहीं किया है । जी डी एस कर्मचारियों के लिए बोनस सीलिंग में संशोधन के लिए हमारा प्रयास रंग लाया मगर एन यू जी डी एस को मान्यता देने के संबंध में श्री नारायणमूर्ती समिति की सिफारिश को खारिज कर दिया । डाकघर व रेडासे लेखाकार मामले के संबंध में पिछले कई सालों से कई मंज पर चर्चा की गई है मगर नतीजा हमारे विरुद्ध था । डाकियों से संबंधित मामले एक हद तक सुलझ गए मगर हमारे कोशिशों के बावजूद कुछ मामलों का निपटान नहीं हुआ है । 4 बार चर्चा करने के बाद एम एम एस केडर पुनर्संरचना को अंतिम रूप दे दिया गया मगर अब तक डाक बोर्ड द्वारा मंजूरी नहीं प्राप्त हुई है । एम ए सी पी भुगतान के संबंध में अपेक्स कोर्ट का फैसला कर्मचारियों के हित में है मगर अब तक नोडल मंत्रालय DOP&T की मान्यता प्राप्त नहीं हुई है

केंद्र सरकार कर्मचारी कॉन्फेडरेशन के तहत एन एफ पी ई हडताल का आयोजन कर रहा है । छथ्थ् और ए अई आर एफ ने भी हडताल की नोटिस दी है और रेल बोर्ड ने चर्चा के लिए आमंत्रिक कर दिया है । हम चुप नहीं बैठ सकते हैं । हमें हमारे मांगें अधिकारियों के समक्ष रखना ही होगा और हमारी मांगे पूरी करने के लिए हमें आवाज उठाना ही होगा । सब जानते हैं कि वर्तमान सरकार फरवरी 2014 के बाद कोई फैसला नहीं कर सकती है । वर्तमान संसद सत्र की कार्य अवधि पूरी हो रही है । अगला सत्र

जून 2014 को ही आरंभ होगा । हम जून 2014 से दिसंबर 2014 तक के छः महीनों के लिए सरकार के विरुद्ध हम आवाज हीं उठा सकते क्योंकि उन्हें हमारी समस्याओं को समझने के लिए समय चाहिए । वर्ष 2015 में जब हम अई आर, डी ए विलयन और अन्य मांगों के लिए आवाज उठाएंगे तो सरकार कहेगी इन मामलों पर 7वें सी पी सी के अध्यक्ष के साथ चर्चा करें । हमारे मांगों के ले आवाज उठाने के लिए यही सही समय है । इस लिए एफ एन पी ओ और उनके संबद्ध यूनियनों मिलजुलकर यह फैसला लिया है कि वे फरवरी 12 &13, 2014 को हडताल पर जाएंगे । एफ एन पी ओ अपने सभी साथियों से अनुरोध करता है फेडरेशन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम में बाग लेकर इस हडताल को विजयी बनायें ।

हमने वही तारीख क्यों चुना

आपको विदित ही होगा कि NFIR और AIFR रेल कर्मचारियों के लिए एक अलग बैनर के तहत लड रहे हैं । वे गुप्त मतदान द्वारा चेक ऑफ प्रणाली पर चुनाव लड़ रहे हैं । रेलवे के दोनों फेडरेशनों को रेल बोर्ड से मान्यता प्राप्त है । हालांकि NFIR ने खुल्लम खुल्ला यह ऐलान कर दिया है कि वे कांग्रेस पार्टी के साथ है मगर जब रेल कर्मचारियों के समस्याओं का सवाल आता है तो वे सरकार की कोई मदद नहीं कर रहे हैं । हड़ताल पर गुप्त मतदान के नतीजे (91% वोट हड़ताल के पक्ष में थे) देखने पर पता चलेगा कि वे कुछ मामलों में ।ष्ट से भी ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं । डाक कर्मचारियों के दिलों को जीतने के लिए हमें छथ्ट के रास्ते पपर चलना होगा । जब हमारा व्यवसाय कूरियर के साथ कडी स्पर्धा का सामना कर रहा है तब हमें डाक उद्योग में गंदी राजनीति नहीं खेलनी चाहिए

जब मांगें लगभग एक ही है तो दो अलग अलग दिनों में हडताल करने से फायदा नहीं होगा । यह कर्मचारियों के बीच अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा करेगा । यही नहीं दो अलग अलग तारीक में हड़ताल की घोषणा करने पर सरकारधविभाग को डाक कर्मचारियों के बीच फूट डालने का बी मौका मिलेगा । NFPE को डाक जेसीए के तहत आना पसन्द नहीं होगा । मगर हम चुप नहीं रह सकते । हम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खासकर डाक विभाग के कर्मचारियों के मांगों के लिए आवाज उठायेंगे । हमें हड़ताल की तारीकों के बारे कोई असमंजस नहीं है । हमारा लक्ष्य है हमारे उचित और न्यायोचित मांगों को पाने केलिए हड़ताल करना ।

मांग पत्र भाग । सामान्य

1. कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद जो सी एम द्वारा समर्पित सभी षर्तों को 7वें सी पी सी द्वारा स्वीकार किया जाए ।

(क) डाक विभाग के ग्रमीण डाक सेवकों (जी डी एस) सहित केंद्र सरकार कर्मचारियों को प्राप्त वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएं, पेंषन, उपदान जैसे सेवानिवषत्ति लाभ और अन्य सेवान्त लाभों के वर्तमान ढाँचे को परखा जाए ।

(ख) दिः 01.01.2014 से ग्रमीण डाक सेवकों (जी डी एस) सहित केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए विस्तष्त संषोधित वेतन पैकेट तैयार किया जाए ।

(ग) 15वें भारतीय श्रमिक सम्मेलन (1957) की सिफारिषें और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुवर्ती न्यायिक निर्णय का संदर्भ लेते हुए समिति द्वारा न्यूनतम वेतन प्रदान करने की आवष्यकता को ध्यान में रख कर दिः 01.01.2014 से वेतन ढाँचा, लाभ, सुविधाएं, सेवानिवषत्ति लाभ आदि निर्णय करना ।

(घ) ग्रमीण डाक सेवकों (जी डी एस) सहित केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए तुरंत मंजूर किए जानेवाले अंतरिम सहायता का निर्णय करना ।

(झ) ग्रमीण डाक सेवकों (जी डी एस) सहित केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन और पेंषन में विलयन किए जाने वाले महंगाई भत्ते की प्रतिषतता तय करना ।

(च) जे सी एम के विविध मंचों में उठाए गए असंगतियों का समाधान करना ।

(छ) पूर्व, वर्तमान और भविष्य पेंषनरों, परिवार पेंषनरों और और दिः 01.01.2004 को या उसके बाद सेवा में प्रवेष किए कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारयों के पेंषन, मष्त्यु दृ सह–निवषत्ति उपदान, परिवार पेंषन और अन्य सेवान्त या आवर्ती लाभ को पुराने दरों की समानता को ध्यान में रख कर तैय करना ।

(ज) कर्मचारियों और पेंषनरों (डाक पेंषनरों सहित) को रोकड रहित/परेषानी मुक्त मेडिकेयर सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजनाएं सिफारिष करना ।

2. भविष्य में हर पांच साल में केन्द्र सरकार कर्मचारियों के वेतन संषोधित करना ।

3. (क) डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों का नियमितीकरण और उनको सिविल सेवी का दर्जा, सांविधिक पेंषन और नियमित कर्मचारियों के समान सभी सुविधाएं प्रदान करना ।

(ख) अनियत और कोन्ट्राक्ट श्रमिकों की मजदूरी का नियमितीकरण और संषोधन ।

4. अनुकंपा आधार पर नियुक्ति दृ सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबन्ध को हटाना ।

5. जे सी एम और अनियमितता समिति का कार्य ।

6. न्यायसंगत जगहों में नए पदों का सष्जन और रिक्त पदों को भरना ।

7. सरकारी समारोहों का डाउनसाइसिंग, आउटसोर्सिंग, कोन्ट्राक्टराईसेषन और निजीकरण समाप्त किया जाए ।

8. निष्पादन संबंधित वेतन (पी आर पी) योजना आरंभ करने की कार्रवाई बंद करना, बोनस सीलिंग को हटाकर सभी को पी एल बी बोनस देना ।

9. ओटीए और रात्रि ड्यूटी भत्ता दरों और वस्त्र दरों का संषोधन ।

10. विवाचन पुरस्कार कार्यान्वित किया जाए ।

11. सभी कर्मचारियों को पांच पदोन्नतियां ।

12. पी एफ आर डी ए अदिनियम रद्द किया जाए । सभी को सांविधिक पेंषन सुनिष्चित किया जाए ।

13. अपेक्स कोर्ट फैसले के आधार पर दृ प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्राप्त पदोन्नति को ध्यान में न रख कर प्रत्येक संवर्ग की सेवा अवधि के आधआर पर – एम ए सी पी मंजूर किया जाए ।

14. मंजदूर संघों को उत्पीडित करना बंद किया जाए । हड़ताल करने का अधिकार सुनिष्चित किया जाए ।

भाग ।। पोस्टल मांगें ।

1.श्री पी. एस नटराजमूर्ती समिति के सिफारिषों के आधार पर जी डी एस यूनियनों को मान्यता प्रदान किया जाए ।

2. डाक, रेडासे, सी ओ, एस बी सी , सिस्टम प्रषासक, एम ई और सिविल इलैक्ट्रिकल विंग के संवर्ग पुनः संरचना जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए ।

3. एम एम एस संवर्ग पुनः संरचना प्रस्ताव को कार्यान्वित किया जाए ।

4. डाकियों के मानकों के कुछ मदों को संषोधित किया जाए ।

5. पी ओ – रेडासे लेखाकार मामले को सुलझाया जाए ।